राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री उगमसिंह राजपुरोहित आर.ए.एस.

क्रमांक : राजस्व / 2023/1904 दिनांक : 18.04.2023

प्रार्थना पत्र संख्या :–60 / 2022

1. सचिन ढाका पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति जाट उम्र 18 वर्ष निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू
2. कु. मोनिका पुत्री महेन्द्रसिंह नाबालिग उम्र 16 वर्ष जाति जाट जरिए अपनी माता सुनिता पत्नी महेन्द्रसिंह निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू राज. हाल निवासी पंखा सर्किल के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थीगण–

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. नरेन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय चूरू (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता सुरेन्द्र राहड़ प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता सुरेन्द्र बुडानियां अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए का पेश करने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानिया ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। जिस पर अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली व पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादग्रत कृषि भूमि खसरा नम्बर 463/254 तादादी 4.0469 हैक्टेयर वाके रोही सहनाली बड़ी तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के संयुक्त परिवार आय से खरीद की हुई है, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 का संयुक्त कब्जा व दखल मौके पर चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थीगण 2/6 हिस्सा के संयुक्त रूप से खातेदार काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 01 एक झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है जो ऐलानिया धमकी दिनांक 18.09.2022 को दी है, कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 463/254 वाके रोही सहनाली बड़ी तहसील व जिला चूरू जल्द से जल्द विक्रय करूंगा और आपको खेत से बेदखल करके रहूंगा। अप्रार्थी संख्या 01 राजस्व रिकॉर्ड का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के हक व हिस्से को मारने की नियत से उक्त वादगत कृषि भूमि को बेचना चाहता है जो कि उक्त भूमि परिवार की संयुक्त संपत्ति से खरीदी गई है। इसलिए प्रार्थीगण अपने नाम से खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है, अप्रार्थी गण को उक्त भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत कृषि भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल न करे तथा ना ही कब्जे, उपयोग, उपभोग में बांधा पहुचाये तथा वादगत कृषि भूमि को रहन बय व स्थानान्तरण आदि न करे।

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में कथन किया कि उक्त वादगत भूमि पैतृक कृषि भूमि नहीं है, ना ही प्रार्थीगण की आय से खरीदशुदा है जिस कारण वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीगण का ना कोई हक अधिकार है, ना ही कानूनी रूप से पाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 जब सेवा निवृत होकर आया उसको सेवानिवृति पर मिलने वाली राशि से वादगत कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2021 को खरीद की और वादगत कृषि भूमि खरीद के बदले विक्रेता को विक्रीत राशि 271500 रूपये स्वयं के चैक संख्या 247380 एस.बी.आई. बैंक शाखा मुख्य बाजार चूरू के खाता संख्या 20050345720 के माध्यम से अदा की व विक्रयधन की राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 01 के उपरोक्त बैंक खाता के माध्यम से विक्रेता को की थी। वादगत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वयं की अर्जित आय से खरीदशुदा है जिसका वि[illegible]021 को उपपंजीयक कार्यालय चूरू में पंजीकृत करवाया गया था। [illegible] अधिवक्ता उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र व जवाब में अंकित तथ्यो[illegible]या ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि खरीद के समय नाबालिग थे व प्रार्थी संख्या 02 आज भी नाबालिग है, वादगत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा खरीदशुदा है व पैतृक कृषि भूमि नहीं है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 18.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उगमसिंह राजपुरोहित
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:00 IST
Reason: SelfAttested